

58

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
यागराज मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज
(कार्मिक विभाग)

ई/आरई/राज/नीति/परिपत्र /2023

दिनांक 01.07.2025

CAO,PCE,PCSTE,PCMM,SDGM/CVO
PFA,PCPO/CORE/PRYJ

Sub: Amendment to the Indian Railway Establishment Code, Volume-1, 1985 Edition (Reprint Edition 2008) Chapter V - Grant of Maternity Leaves, Paternity Leave, Child Adoption Leave, Paternity Leave for Child adoption and Child Care Leave.

Ref: Railway Board 's Letter No. E(P&A)I-2024/CPC/LE-2 Dated 09.06.2025

SN 499

उपरोक्त संदर्भित पत्र की फोटो प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत कराएं।

संलग्नक : यथोक्त

S. N. 499
(एस.एन. श्रीवास्तव)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)
कोर/प्रयागराज

01/07/25
01/07/25

Conf o PFA